इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2021—पौष 6, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र.—एफ—ए—3—21—2021—1—पांच(90).— मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—ए—3—14—2010—पांच (68), दिनांक 16 अगस्त 2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वृत्ति कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3—क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात :—

"3—क. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का इलेक्ट्रानिक रीति में फाईल किया जाना.—

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पंजीयन प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नियोजक या व्यक्ति, विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल अर्थात्— www.mptax.mp.gov.in के माध्यम से उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार यथाविहित प्ररूप—1 या प्ररूप—3 में, यथास्थिति, डिजिटल हस्ताक्षर उक्त आवेदन इलेक्ट्रोनिक रीति से प्रस्तुत करेगा. ऐसे आवेदन को नियम 3 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

3—ख. पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन का मान्य अनुमोदन.—

जहां पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन नियम 3—क के अनुसार प्रस्तुत किया गया है और वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा 8 की उपधारा (3) में न तो विनिर्दिष्ट समयावधि में पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रदान किया है और न ही आवेदन—पत्र निरस्त किया है तो पंजीयन का आवेदन अनुमोदित समझा जाएगा और पंजीयन प्रमाण—पत्र, वृत्ति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत्त कर दिया गया समझा जाएगा. इस नियम के अधीन प्रदत्त किया समझा जाएगा पंजीयन प्रमाण—पत्र या नियम 3 के अधीन प्रदत्त पंजीयन प्रमाण—पत्र, यथास्थिति वृत्तिकर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या बिना हस्ताक्षरित होकर विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर कम्प्यूटर जनरेटेड होगा जिसे आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र.–एफ–ए–3–21–2021–1–पांच .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ–ए–3–21–2021–1–पांच (90), दिनांक 27 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 27th December 2021

No.F-A 3-21-2021-1-V(90).- In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Madhya Pradesh Professional Tax Act, 1995 (No. 16 of 1995) and in supersession of this department's Notification No. F-A-3-14-2010-V (68) dated 16th August 2010, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Professional Tax Rules, 1995, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 3-A, the following rules shall be substituted, namely.–

"3-A. Electronic filing of application for grant of registration certificate.-

Every employer or person, required to obtain a certificate of registration under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 8 of the Act, shall submit an application electronically as prescribed in Form-1 or Form-3, as the case may be, with digital signature, through th official web portal of the department i.e. **www.mptax.mp.gov.in** in accordance with the instructions given therein. The Provisions of rule 3 shall mutatis mutandis apply to such application.

"3-B. Deemed approval of application for certificate of registration.–

Where an application for grant of registration certificate is furnished under rule 3-A and the professional Tax Assessing Authority neither granted the certificate nor rejected the application within the time specified in sub-section (3) of Section 8 of the Madhya Pradesh Professional Tax Act, 1995, the application for registration shall be deemed approved and the certificate of registration shall be deemed to have been granted by the professional Tax Assessing Authority. The certificate of registration, deemed granted under this rule or granted under rule 3, as the case may be, shall be system generated through the official web portal of the department with or without digital signature of the Professional Tax Assessing Authority and shall be downloadable at the applicant's end.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.